

कार्यालय,
पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी योजना, सुपौल।
E-mail ID-punarwasoffice@gmail.com
आम सूचना

ज्ञापांक/

सुपौल, दिनांक/

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के ज्ञापांक 544 दिनांक 04.05.2026 द्वारा जिला-सुपौल, सहरसा, मधुबनी एवं दरभंगा जिलान्तर्गत कतिपय पुर्नवास स्थलों का कृषि योग्य रिक्त भूमि का अस्थायी बन्दोबस्ती हेतु अल्पकालीन सूचना-01/2026-27 का प्रकाशन दैनिक समाचार पत्रों में किया गया था। इस अल्पकालीन सूचना में पुर्नवास स्थल बेलही पुला हेतु 05 एकड़ भूखण्ड का अस्थायी बंदोबस्ती हेतु प्रावधान किया गया था। जिसमें तीन एकड़ आरक्षण कोटि से एवं 02 एकड़ सामान्य कोटि से बंदोबस्ती किया जाना था परन्तु पुर्नवास स्थल बेलही पुला के लिए 02 एकड़ आरक्षित कोटि से 1. हेलू सादा, पिता खखई सादा 2. रामाशीष पासवान पिता- बिन्देश्वर पासवान को एवं 03 एकड़ सामान्य श्रेणी से 1. सुशील झा पिता- बेचन झा 2. गोबिन्द कुमार झा, पिता- योगेश्वर झा 3. प्रमोद कुमार पिता- नसीब लाला यादव को एक वर्ष के लिए कृषि योग्य रिक्त भूमि का अस्थायी बंदोबस्ती लौटरी के माध्यम से किया गया था परन्तु पुनर्वास स्थल बेलही पुला के कृषि योग्य रिक्त भूमि के अस्थायी बंदोबस्ती में संचिका प्रभारी के मानवीय भूलवश आरक्षण नीति का अनुपालन नहीं किया जा सका।

अतः अल्पकालीन सूचना- 01/2026-27 में निहित प्रावधान के आलोक में पुर्नवास स्थल बेलही पुला में की गई 05 एकड़ की बंदोबस्ती को तत्काल प्रभाव से रद्द की जाती है। वर्तमान में बाढ़ विभिषिका के कारण पुर्नवास स्थल जलमग्न है। अतः पुर्नवास स्थल बेलही पुला सहित अन्य पुर्नवास स्थल जिसकी कृषि योग्य भूमि की अस्थायी बंदोबस्ती नहीं हुई है सभी की बंदोबस्ती हेतु प्रकाशन अलग से की जाएगी। इसकी सूचना सभी सफल बन्दोबस्तकारों को दी जा रही है।

ह0/-

पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी योजना सुपौल

ज्ञापांक 1164...../

सुपौल, दिनांक 22.09.2026

प्रतिलिपि:-सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं किसी दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रचार प्रसार प्रकाशित कराने की कार्यवाई हेतु समर्पित।

22/09/26
पुनर्वास पदाधिकारी,
कोशी योजना सुपौल।
22/09/26